न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/152

1. मनीष आत्मज स्वर्गीय जोधराज
2. अंकित आत्मज स्वर्गीय जोधराज
3. रीना पुत्री स्वर्गीय जोधराज
4. अंकिता पुत्री स्वर्गीय जोधराज
5. हेमलता पत्नी स्वर्गीय जोधराज
   निवासीगण ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान
6. राजेश पुत्री स्वर्गीय जानकीलाल पत्नी मुकुटबिहारी, निवासी मेंदडी, तहसील खानपुर जिला कोटा राजस्थान
7. प्रेम बाई पुत्री स्वर्गीय नाथूलाल पत्नी कन्हैयालाल निवासी हरीजी का निमोदा, तहसील दीगोद, जिला कोटा राजस्थान
8. सचिन आत्मज स्वर्गीय महावीर
9. मनीषा पुत्री स्वर्गीय महावीर
10. विद्यादेवी उर्फ विष्णु देवी पत्नी स्वर्गीय महावीर
    निवासीगण ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

– अपीलांटगण

बनाम

1. चाहन्या बाई पत्नी स्व0 छगनलाल
2. पर्वत सिंह आत्मज स्व0 छगनलाल
3. रविन्द्र सिंह आत्मज स्व0 छगनलाल
4. नितेश चौधरी आत्मज स्व0 छगनलाल
   निवासीगण ग्राम बनियानी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राजस्थान
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री मुकेश मीणा, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
3. श्री मनोज गौतम अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 की ओर से।

दिनांक 15.10.2025

निर्णय

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 53/2012 मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2017 एवं संशोधित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण के पिता छगनलाल द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण का पारिवारिक शजरा वादपत्र में अंकित करते हुए निवेदन किया कि ग्राम बनियानी तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में निम्न विवरण की कृषि भूमियों स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 के अनुसार खसरा नं0 685 की 2.27 हैक्टर, खसरा नं0 713 की 0.24 हैक्टर, खसरा नं0 714 की 0.51 हैक्टर, खसरा नं0 715 की 0.82 हैक्टर, खसरा नं0 770 की 5.77 हैक्टर, खसरा नं0 1412 की 2.99 हैक्टर, कुल 6 किता की 12.60 हैक्टर भूमि। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी का 3/10 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का 3/10 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 6 व बरजी बाई का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 7 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं० 8 का 1/20 हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि में वादी 3/10 हिस्से का खातेदार काबिज काश्तकार चला आ रहा है। ग्राम दीपपुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में खसरा नं0 755 की 6.12 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 सलंग्न है। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी व प्रतिवादी नं० 6 व बरजी बाई का 3/5 हिस्सा, प्रतिवादी नं० 8 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का 1/5 हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि में वादी 1/5 हिस्से का खातेदार काबिज काश्तकार चला आ रहा है। सहखातेदार बरजी बाई का देहावसान हो चुका है और ग्राम दीपपुरा की बरजी बाई के हिस्से की भूमि उसके पुत्र व पुत्री वादी छगन लाल, प्रतिवादी नं० ४ राजेश प्रति० नं० 1 ता 5 एंव महावीर पुत्र को बराबर बराबर हिस्से से प्राप्त हुई है यानी बरजी बाई की 1/5 हिस्से की भूमि में से प्रत्येक को 1/20, 1/20 हिस्सा प्राप्त होगा इस प्रकार वादी छगन लाल का 1/5 एंव 1/20 हिस्से यानी कुल 5/20 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है और कुल भूमि में से 5/20 हिस्से की भूमि का खातेदार हो गया है। तथा खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। सहखातेदार बरजी बाई का देहावसान हो चुका है और ग्राम बनियानी की बरजी बाई के हिस्से की भूमि उसके पुत्र व पुत्री वादी छगन लाल, प्रतिवादी नं० 8 राजेश, प्रति० नं० 1 ता 5 एंव महावीर पुत्र को बराबर बराबर हिस्से से प्राप्त हुई है यानी बरजी बाई की 1/20 हिस्से की भूमि में से प्रत्येक को 1/80, 1/80 हिस्सा प्राप्त होगा इस प्रकार वादी छगन लाल का 3/10 एंव 1/80 हिस्से यानी कुल 25/80 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है और कुल भूमि में से 25/80 हिस्से की भूमि का खातेदार हो गया है तथा खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। खातेदार जानकी लाल व बरजी बाई के पुत्र महावीर ने अपने हिस्से की भूमि अपने पुत्र प्रतिवादी नं० 8 के खाते दर्ज करवादी है किन्तु बरजी बाई की मृत्यु के उपरान्त बरजी बाई के 1/4 हिस्से की भूमि महावीर को प्राप्त होनी है इस कारण उसे वाद में प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। वादी ने

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

प्रतिवादीगण को उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में बरजी बाई का इंतकाल खुला कर विभाजन कराने हेतु दिनांक 1–6–2012 को कहा तो प्रतिवादीगण ने इंतकाल तस्दीक कराने व भूमि का विभाजन कराने से इन्कार कर दिया बल्कि प्रतिवादीगण ने वादी को उसके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में व्यवधन पैदा किया और बरजी बाई की भूमि नहीं देने की धमकी दी जबकि प्रतिवादी गण को उक्त अवैध कृत्य करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादी गण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे वादीगण को ग्राम दीपपुरा के 5/20 हिस्से की भूमि व ग्राम बनियानी की 25/80 हिस्से की भूमि पर काश्त करने से रोके व बरजी बाई की भूमि के हिस्से को नहीं देवे। इस कारण उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती व बंटवारा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है। वाद कारण प्रतिवादी गण द्वारा भूमि का बरजी बाई का इंतकाल सभी के नाम खुलवाने की कहने पर इन्कार होने तथा वादी को ग्राम बनियानी की 25/80 हिस्से व ग्राम दीपपुरा 5/20 हिस्से की भूमि पर काश्त न करने देने व प्रतिवादी गण द्वारा बिना विभाजन कराये भूमि को खुर्द बुर्द व रहन, बेचान करने की धमकी दिनांक 1–6–2012 को देने पर पैदा हुआ। प्रतिवादी नं0 10 भूमि की लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। वाद अर्जेन्ट एवं इमीजिएट रिलीफ से सम्बन्धित है। इस कारण वादीगण ने वाद में प्रतिवादी नं0 10 राजस्थान सरकार को धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत 2 माह का नोटिस नहीं दिया है और बिना नोटिस दिये वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके लिए धारा 80 (2) जाप्ता दीवानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय न्यायालय को प्रस्तुत इस वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है कारण कि वादग्रस्त भूमि माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। ओर वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ़ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे– (1). कि वाद पत्र की मद नं0 2 में अंकित भूमि ग्राम बनियानी तहसील लाड़पुरा की खसरा नं0 685 की 2.27 हैक्टर, खसरा नं0 713 की 0.24 हैक्टर, खसरा नं0 714 की 0.51 हैक्टर, खसरा नं0 715 की 0.82 हेक्टर, खसरा नं0 770 की 5.77 हैक्टर, खसरा नं0 1412 की 2.99 हैक्टर, कुल 6 किता की 12.60 हैक्टर भूमि में से वादी को 3/10 व 1/20 यानी कुल 25/80 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। (2). वाद पत्र की मद नं0 4 में अंकित भूमि ग्राम दीपपुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की खसरा नं० 755 की 6.12 हैक्टर में से वादी को 1/5 व 1/20 यानी कुल 5/20 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। (3) राजस्व रिकार्ड से बरजी बाई का नाम डिलीट फरमाया जावे। (4) ग्राम बनियानी तहसील लाड़पुरा की खसरा नं० 685 की 2.27 हैक्टर, खसरा नं0 713 की 0.24 हैक्टर, खसरा नं0 714 की 0.51 हैक्टर, खसरा नं0 715 की 0.82 हैक्टर, खसरा नं0 770 की 5.77 हैक्टर, खसरा नं0 1412 की 2.99 हैक्टर, कुल 6 किता की 12.60 हैक्टर भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाकर वादी के 25/80 हिस्से की भूमि वादी के अलग खाते दर्ज किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे एवं लगान कड़ता अलग–अलग कायम किया

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा

जावे। (5) कि ग्राम दीपपुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की खसरा नं0 755 की 6.12 हैक्टर भूमि का वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 7 व 8 के मध्य विभाजन किया जाकर वादी के 5/20 हिस्से की भूमि वादी के अलग खाते दर्ज किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे। एवं लगान कड़ता अलग–अलग कायम किया जावे। (6) स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादीगण ग्राम बनियानी तहसील लाड़पुरा की खसरा नं0 685 की 2.27 हैक्टर, खसरा नं0 713 की 0.24 हैक्टर, खसरा नं0 714 की 0.51 हैक्टर, खसरा नं0 715 की 0.82 हैक्टर, खसरा नं0 770 की 5.77 हैक्टर, खसरा नं0 1412 की 2.99 हैक्टर, कुल 6 किता की 12.60 हैक्टर भूमि के 25/80 हिस्से की भूमि एंव ग्राम दीपपुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की खसरा नं0 755 की 6. 12 हेक्टर भूमि के 5/20 हिस्से से वादी को बैदखल नहीं करे कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे। तथा उक्त भूमि को अथवा उसके किसी हिस्से की भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द व बेचान तथा अन्तरण नहीं करे। (7) प्रतिवादी नं0 10 को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे। (8) कि वादीगण को प्रतिवादीगण से मुकदमें का खर्चा दिलाया जावे। (9) अन्य सहायता हो वह भी वादीगण को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.07.2017 को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2017 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2017 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि. अपीलांटगण/ प्रतिवादीगण को माननीय अधीनस्थ न्यायालय में नियुक्त अधिवक्ता श्री घनश्याम जी नागर के द्वारा कोई सूचना आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के सम्बंध में नहीं दी गई। अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को सर्वप्रथम उक्त आदेश 9 नियम 13 सीपीसी की जानकारी दिनांक 15.05.2025 को दी गई। उसके पश्चात् अपीलांटगण पटवार हल्का दीपपुरा व बनियानी के पटवारी जी से मिले। चूंकि पूर्व में अपीलांट नम्बर 10 विद्या देवी गम्भीर रूप से बीमार हो गई थी और उसकी बीमारी में काफी समय व्यतीत हो गया। इसके पश्चात् अपीलांट्स दिनांक 16.05.2025 को अपने अधिवक्ता महोदय से मिले तो पूर्व अधिवक्ता घनश्याम नागर जी ने अपीलांट्से कहा कि तुम्हारी आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज हो चुका है और तुम्हारे केस में निर्णय व डिंक्री दिनांक 12.07.2017 पारित हो चुका है और संशोधित डिक्री दिनांक 30.09.2024 भी जारी हो चुकी है। उसके पश्चात् अपीलांट्स अपने नये अधिवक्ता से मिले और प्रकरण की जानकारी की और उक्त प्रकरण की सत्य प्रतिलिपि के लिये आवेदन दिनांक 19.05.2025 को माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि दिनांक 21.05.2025 को प्राप्त हुई। प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के पश्चात् अधिवक्ता महोदय के द्वारा अपील तैयार करवायी गई इसलिये जानकारी की दिनांक 16. 05.2025 से प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 21.05.2025 को प्राप्त होने एवं अपील प्रस्तुत करने तक की अवधि को कंडोन फरमाते हुये अवधि मध्य माना जाकर प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित फरमाया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे और प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील में व्यतीत अवधि कंडोन की जाकर अपील अवधि मध्य मानी जाकर गुणावगुण पर निर्णित फरमाया जावे।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस पेश की तथा अपनी बहस मे अपील मेमो व लिखित बहस में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोन्डेंट/वादीगण के पिता छगन लाल के द्वारा एक वाद माननीय अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय कोटा में इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 685 की रकबा 2.27 हेक्टेयर, खसरा नंबर 713 की रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 714 की रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 715 की रकबा 0.82 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 770 की रकबा 5.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1412 की रकबा 2.99 हैक्टेयर कुल किता 6 की कुल रकबा 12.60 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बनियानी, पटवार हल्का बनियानी, भू. अभि. निरी. क्षेत्र केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित चली आ रही है। साथ ही खसरा नम्बर 755 की रकबा 6.12 हैक्टेयर वाके ग्राम दीपपुरा, भू. अभि. निरी. क्षेत्र केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित चली आ रही है। जिसमें रेस्पो०/वादीगण का हक–हिस्सा निहित चला आ रहा है। उक्त आराजी संयुक्त खातेदारी में होने के कारण आए दिन वाद–विवाद होते हैं तथा विभाजन करने से इंकार कर दिया है। जिस पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया, प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। बावजूद सूचना प्रतिवादीगण

अनुपस्थित रहे, जिस पर राजस्व लोक अदालत में दिनांक 12–7–2017 को निर्णय पारित कर डिक्री जारी कर दी गई और उसके पश्चात पुनः माननीय अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30–9–2024 को संशोधित डिक्री जारी की गई। जिससे पीड़ित होकर अपीलांट के द्वारा यह अपील माननीय न्यायालय में पेश की गई। अपीलांट को उक्त प्रकरण के कभी भी कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुए और ना ही अपीलांट को कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अपीलांट ने कभी भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता उत्पल शर्मा को कभी नियुक्त ही नही किया गया ओर ना ही उन्हें कभी अण्डरटेकिंग पेश करने के लिए कहा गया। अधिवक्ता उत्पल शर्मा ने किसके कहने पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अण्डरटेकिंग पेश की। इसकी कोई जानकारी अपीलांट को नही है। जब अपीलांट को उक्त प्रकरण के कोई नोटिस ही प्राप्त नहीं हुए तो अधिवक्ता नियुक्त करने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को प्रॉपर तामील कराये बिना ही एवं ऑर्डर 5 नियम 17 सीपीसी की पालना करवाए बिना ही एक तरफा कार्यवाही की गई है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है। चूंकि अपीलांट को उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 12–7–2017 की सर्वप्रथम जानकारी होने पर अपीलांट ने अपने अधिवक्ता श्री घनश्याम जी नागर के माध्यम से माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 सीपीसी एक्सपार्टी सेटऐसाइड का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज फरमा दिया कि उक्त प्रार्थना पत्र माननीय अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने की अपेक्षा सक्षम न्यायालय में अपील पेश करनी चाहिए थी। अपीलांट को उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 12–7–2017 के सम्बंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के सम्बंध में पारित आदेश की कोई सूचना पूर्व अधिवक्ता श्री घनश्याम जी नागर के द्वारा नहीं दी गई। अपीलांटस को उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15–5–2025 को दी गई। उसके पश्चात अपीलांट हल्का पटवारी दीपपुरा व बनियानी से मिले और अपीलांट ने हल्का पटवारी से निवेदन किया कि विद्या देवी गंभीर रूप से बीमार हो गई थी एवं उसकी बीमारी में काफी समय व्यतीत हो गया। जिस पर हल्का पटवारी ने अपने अधिवक्ता से मिलने की सलाह दी। जिस पर अपीलांट दिनांक 16–5–2025 को अपने अधिवक्ता महोदय से मिले तो पूर्व अधिवक्ता घनश्याम नागर जी ने अपीलांट को कहा कि तुम्हारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का खारिज हो चुका है और प्रकरण में दिनांक 30–9–2024 को पूर्व में पारित डिक्री दिनांक 12–7–2017 को संशोधित कर दिया है। इसके पश्चात अपीलांट अपने नये अधिवक्ता से मिले जिस पर दिनांक 19–5–2025 को माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 21–5–2025 को प्राप्त हुई। इसलिए जानकारी की दिनांक से उक्त अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की गई है। अपीलांट बोनाफाईड है। अपीलांट को उक्त निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी कभी नहीं रही है ओर ना ही उन्हें उक्त प्रकरण के कोई नोटिस प्राप्त हुए हैं। अपीलांट को पूर्व अधिवक्ता श्री घनश्याम नागर के द्वारा ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी के सम्बंध में भी कोई जानकारी नहीं दी गई। इसलिए माननीय सर्वोच्च

न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल ने समय–समय पर विधि को स्थापित कर दिया है। इस सम्बंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने न्यायिक निर्णय 2012 (1) आरआरटी पेज नम्बर 182 में स्पष्ट रूप से यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का अर्थान्वयन करते समय न्यायालय को लिब्रल व्यू अपनाना चाहिए और डिले को कण्डोन कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए। साथ ही 2011 (1) आरआरटी पेज नम्बर 602 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिले को कण्डोन करने के सम्बंध में लिब्रल व्यू अपनाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के सम्बंध में आदेश पारित किया है। साथ ही 2012 (2) आरआरटी पेज 1235 में भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि लिमिटेशन के बिन्दु पर कोर्ट को अपना लिब्रल व्यू रखना चाहिए। 2013 (2) आरआरटी पेज नम्बर 878 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में देरी के सम्बंध में स्पष्ट कारण दर्शाये गये तो उस स्थिति में विलंब को शमन किया जाना चाहिए। 2015 डी एन जे पेज नंबर 592 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि स्पष्ट कारण होने पर न्यायालय को धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते समय लिब्रल व्यू अपनाकर डिले कण्डोन करना चाहिए। 2024 (1) डीएनजे राजस्थान पेज नम्बर 174 में भी राजस्थान उच्च न्यायालय ने डिले कण्डोन करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के आदेश पारित किए है। एवं ए आई आर आर 1998 एस सी पेज नम्बर 3222 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अधिवक्ता के द्वारा की गई गलती की सजा पक्षकारों को नही मिलना चाहिए और डिले कण्डोन करते हुए अपील का निर्णय गुणवगुण पर पारित किए जाना चाहिए। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों से यह स्पष्ट हो चुका है अपीलांट के द्वारा उक्त अपील पेश करने में जो डिले हुआ है वह बोनाफाईड है और क्षम्य किए जाने योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय ने उपरोक्त न्यायिक निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अपील का निर्णय एवं धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते समय न्यायालय को लिब्रल व्यू अपनाना चाहिए एवं अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचना व सुनवाई का कोई अवसर ही प्रदान नहीं किया। अपीलांट को कभी भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय से कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुए। यदि किसी अधिवक्ता ने सहवन से माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अण्डरटेकिंग पेश कर दी थी तब भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय का यह नैतिक दायित्व था कि पक्षकारों को पुनः नोटिस जारी करते और अपीलांट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए था एवं अपीलांट को जवाबदेही एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करना चाहिए था जिससे कि अपीलांट माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी साक्ष्य पेश करते। जिससे कि दोनों पक्षकारों के मध्य गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जा सकता था परंतु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक भूल की है और अपीलांट को आदेश 5 नियम 17 सीपीसी की पालना करवाए बिना ही एक तरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 12–7–2017 पारित की है एवं

उसके पश्चात संशोधित डिक्री दिनांक 30–9–2024 पारित की है जो अपास्त किए जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में दिनांक 12–7–2017 को राजस्व लोक अदालत में एक तरफा निर्णय पारित किया है। यहां अपीलांट का निवेदन है कि लोक अदालत में दोनों पक्षकारान की उपस्थिति आवश्यक है। चूंकि धारा 96 (3) सीपीसी में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि कोई भी निर्णय व डिक्री लोक अदालत की भावना से पारित किया गया है तो उसमें दोनों पक्षकारों की सहमति लिया जाना आवश्यक है। परंतु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किए जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह वस्तुस्थिति स्पष्ट थी महावीर पुत्र जानकी लाल की मृत्यु दिनांक 13–4–2024 को हो चुकी थी जिसकी पूर्ण जानकारी रेस्पो०/वादीगण को थी, परंतु उसके बावजूद भी रेस्पो०/वादीगण ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष महावीर के वारिसान को कायम मुकाम के रूप में पक्षकार बनाना चाहिए था और मृतक महावीर का नाम प्रकरण से हटाना चाहिए था और उसके पश्चात निर्णय व डिक्री पारित करवाना चाहिए था। परंतु रेस्पो०/वादीगण ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय को महावीर के मरने की कोई सूचना नही दी गई और मरे व्यक्ति के नाम ही निर्णय व डिक्री पारित करवा लिया गया। जबकि महावीर रेस्पो०/वादीगण के नजदीकी परिवार का सदस्य है। जिसकी मृत्यु की पूर्ण जानकारी रेस्पो०/वादीगण को थी। परंतु उसके बावजूद भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय से मरे व्यक्ति के नाम निर्णय व डिक्री पारित करवाया है। इस आधार पर भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किए जाने योग्य है। इस सम्बंध में माननीय राजस्व मण्डल ने एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि को स्थापित कर दिया है 2011 (1) आरआरटी पेज नम्बर 64 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि मृतक व्यक्ति के विरूद्ध कोई निर्णय, डिक्री, आदेश पारित किया गया है तो वह प्रारम्भ से ही शून्य है। उक्त निर्णय व डिक्री का कोई प्रभाव नहीं होता है। साथ ही 2012 (1) आरआरटी पेज नंबर 189 में भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अपील व निर्णय व डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। यदि इसके बावजूद भी पारित किया गया है तो वह प्रारम्भ से ही शून्य निष्प्रभावी एवं खारिज किए जाने योग्य है। 2012 (2) आरआरटी पेज नम्बर 1267 में भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि मृत व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आदेश निर्णय व डिक्री पारित की है तो वह आदेश प्रारम्भ से ही अकृत है। इस आधार पर भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री एवं संशोधित डिक्री अपास्त किए जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 12–7–2017 इस आधार पर पारित की है कि अंतिम निपटारे के लिए रजिस्टर्ड वसीयत दस्तावेज के आधार पर वाद, वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी के विभाजन किए जाने के आदेश प्रदान किए गए। यहां अपीलांट का निवेदन है कि रेस्पो०/वादीगण ने अपने संपूर्ण वाद पत्र में कहीं भी रजिस्टर्ड वसीयत का हवाला नहीं दिया है तो फिर किस प्रकार माननीय

अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड वसीयत को आधार बनाकर उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है जो अपास्त किए जाने योग्य है। साथ ही अपीलांट का यहां निवेदन है कि प्राथमिक डिक्री दिनांक 12–7–2017 को ग्राम बनियानी के सम्बंध में ही पारित की गई है। परंतु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने 7 वर्षों के लम्बे अंतराल के बाद दिनांक 30–9–2024 को डिक्री में संशोधित करते हुए ग्राम दीपपुरा की आराजी को भी डिक्री में शामिल कर संशोधित डिक्री पारित की गई है। जो गलत है। चूंकि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12.7.2017 मे मात्र बनियानी की आराजी को ही शामिल किया गया था। परंतु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 152, 153 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत जाकर लिपिकिय एवं अंक गणितिय की त्रुटि को दुरूस्त करने की अपेक्षा डिक्री की मूल भावनाओं को संशोधित कर दिया जबकि धारा 152 सीपीसी में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि मात्र डिक्री में लिपिकिय व अंक गणितिय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता था परंतु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 152 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत जाकर डिक्री की विषय वस्तु को ही परिवर्तित कर दिया है। साथ ही संशोधित डिक्री में अन्य गांव ग्राम दीपपुरा की आराजी खसरा नम्बर 755 की रकबा 6.12 हैक्टेयर आराजी को सम्मिलित कर लिया है। जबकि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–7–2017 में ग्राम दीपपुरा की आराजी के बारे में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय पारित ही नहीं किया गया है। इस आधार पर भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय, डिक्री एवं संशोधित डिक्री अपास्त किए जाने योग्य है। रेस्पो०/वादीगण ने अपने वाद पत्र में पक्षकारान के मध्य निष्पादित किए गए राजीनामा दिनांक 9–7–2012 के तथ्यों का उल्लेख ना कर तथ्यों को छिपाया है, जबकि उक्त राजीनामा में यह कथन स्पष्ट रूप से आलेखित किए गए थे कि जो पक्षकार, जिस जगह पर काबिज काश्त है उसी जगह पर काबिज काश्त रहेगा एवं सहमति से पक्षकारान अपना–अपना हिस्सानुसार रिकॉर्ड में नाम परिवर्तित करवा लेगें। परंतु उक्त राजीनामा के विरूद्ध जाकर रेस्पो०/वादीगण यह वाद माननीय अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है और उसके आधार पर निर्णय डिक्री एवं संशोधित डिक्री पारित करवाई है जो अपास्त किए जाने योग्य है। यहां अपीलांट का निवेदन है कि अपीलांट को उक्त राजीनामा पेश करने एवं उसके फैक्टस को बताने एवं जवाबदेही एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर मिलना आवश्यक है। चूंकि रेस्पो०/वादीगण ने अपीलांट को सूचना व सुनवाई का अवसर दिए बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है जो अपास्त किए जाने योग्य है, तथा धारा 96 (2) सीपीसी के तहत अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई तथा उनके पते पर कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। अतः इस आधार पर भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री एवं संशोधित डिक्री अपाप्त किए जाने योग्य हे। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2011(1) आर.आर.टी. पेज 67, 2012(1) आर.आर.टी. पेज 189, 2012(2) आर.आर.टी. पेज 1267, 2012(1) आर.आर.टी. पेज 182, 2011(1) आर.आर.टी. पेज 602, पेज 605, 2012(2) आर.आर.टी. पेज 1235, 2013(2) आर.आर. टी. पेज 878, 2015 डी.एन.जे.(एस.सी.) पेज 592, 2024(1) डी.एन.जे. राज. पेज 174 प्रस्तुत

किए। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12–7–2017 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 30–9–2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किए जाने का निवेदन किया कि अपीलांट/प्रतिवादीगण को जवाबदावा, साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किया जावे तथा विवाद्यक बिन्दु कायम करते हुए दोनों पक्षकारों की साक्ष्य रिकॉर्ड करे एवं तदोपरांत गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण अपीलांटगण की संयुक्त खाते की भूमि है। वादग्रस्त आराजी में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 3/10 हिस्सा निहित है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने खाते व हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। बरजी बाई का देहान्त हो जाने के पश्चात बरजी बाई के खाते की ग्राम दीपपुरा की आराजी में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 5/20 हिस्सा निहित हो चुका है तथा उक्त हिस्से का वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कानूनन खातेदार हो चुका है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बरजी बाई के खाते की ग्राम दीपपुरा की भूमि में स्वयं का 5/20 हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा की कुल किता 6 रकबा 12.60 हैक्टेयर भूमि में कुल 25/80 हिस्सा तथा ग्राम दीपपुरा तहसील लाडपुरा की भूमि में कुल 5/20 हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की तामील हो चुकी थी तथा अपीलांटगण की ओर से जरिये अधिवक्ता अण्डरटेकिंग पेश की जा चुकी थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की अपीलांट को भलीं–भांति जानकारी थी। इसके बावजूद भी अपीलांट जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रारंभ से ही रही है। इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की गई है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं होने से अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक में केवल ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा की आराजी का नियमानुसार विभाजन किए जाने का आदेश पारित किया है, परन्तु प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2017 में केवल ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा की आराजी का ही विभाजन किए जाने का आदेश प्रदान किया गया है जबकि हस्तगत वाद में ग्राम दीपपुरा की भूमि भी शामिल है तथा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने वाद में ग्राम दीपपुरा तहसील लाडपुरा की भूमि का भी विभाजन किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2017 में संशोधन किए जाने हेतु वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करके ग्राम दीपपुरा की भूमि को भी विभाजन में शामिल किए

जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनकर संशोधित डिक्री दिनांक 30.08.2024 को पारित करते हुए ग्राम दीपपुरा की आराजी को भी विभाजन में शामिल किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से डिक्री में संशोधन किए जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुए ग्राम दीपपुरा की आराजी को विभाजन में शामिल किए जाने का आदेश अपनी संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2024 में अंकित किया है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2017 एवं संशाधित डिक्री दिनांक 30.09.2024 में किसी भी पक्षकार का हिस्सा कम अथवा अधिक दर्ज नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री में उभयपक्षकारान के निहित हक हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलांटगण को जवाब देही व साक्ष्य पेश करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाकर सही तोर पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वाद डिक्री किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2017 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 30.09.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2017 अपीलांट की अनुपस्थित में पारित की गई है अतः अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.217 की जानकारी नहीं हो सकी। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.08.2012 में अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश अंकित है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम

<u>अपील संख्या 2025/132</u>

<u>[illegible] बनाम [illegible] बाई आदि</u>

स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 21.08.2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादीगण में विचाराधीन थी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के विरूद्ध दिनांक 21.08.2012 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने के कारण अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं कर सके। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15.04.2017 में पत्रावली के लोक–अदालत कैम्प में नियत किए जाने का आदेश अंकित है तथा आगामी पेशी 19.06.2017 नियत किया जाना अंकित है। आदेशिका दिनांक 19.06.2017 में पत्रावली लोक अदालत कैम्प अभियान न्याय आपके द्वार 2017 के अन्तर्गत कैम्प बनियानी में पेश होने का अंकन है तथा आगामी पेशी 12.07.2017 लोक अदालत को नियत किया जाना अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.07.2017 की कोई आदेशिका कायम नहीं की जाकर सीधे ही दिनांक 19.06.2017 को आदेशिका कायम करते हुए पत्रावली लोक अदालत में नियत किए जाने का आदेश अंकित किया गया है तथा लोक अदालत हेतु तारीख पेशी 12.07.2017 नियत की गई है। आदेशिका दिनांक 19.06.2017 में लोक अदालत हेतु नोटिस जारी किए जाने का आदेश अंकित है परन्तु उक्त आदेशिका के सन्मुख लोक अदालत के नोटिस जारी किए जाने का कोई अंकन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में लोक अदालत की दिनांक 12.07.2017 के कोई सम्मन नोटिस/सूचना–पत्र संलग्न नहीं है। लोक अदालत की दिनांक 12.07.2017 की आदेशिका पर किसी पक्षकार के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित नहीं है । अतः हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के लोक–अदालत में रखे जाने के सम्बंध में सभी अपीलांटगण को न तो कोई सूचना दी गई और न ही कोई सम्मन नोटिस/सूचना–पत्र जारी किए गए। चूंकि अपीलांटगण को प्रस्तगत प्रकरण के लोक अदालत में रखे जाने की जानकारी नहीं थी अतः अपीलांटगण लोक–अदालत कैम्प कोर्ट दिनांक 12.07.2017 को उपस्थित नहीं हो सके। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई राजीनामा आवेदन पत्र संलग्न नहीं है। आदेशिका दिनांक 12.07.2017 में उभयपक्षकारान की ओर से राजीनामा/सहमतिनामा प्रस्तुत होने का अंकन नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्षकारान की ओर से कोई राजीनामा/सहमतिनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार लोक–अदालत कैम्प कोर्ट में उन्हीं प्रकरणो का निस्तारण किया जाना विधि सम्मत होता है जिनमें सभी पक्षकारान की ओर से विधिक रूप से राजीनामा/सहमतिनामा प्रस्तुत होता हो। परन्तु प्रस्तगत प्रकरण में लोक–अदालत में न तो सभी पक्षकार उपस्थित थे और न ही सभी पक्षकारान की ओर से कोई राजीनामा/सहमतिनामा प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण की अनुपस्थिति में उभयपक्षकारान की बिना सहमति व बिना राजीनामे के लोक–अदालत कैम्प कोर्ट के तहत निर्णय पारित किया गया है जो लोक–अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादीगण में विचाराधीन थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपरिपक्व पत्रावली को उभयपक्षकारान की सहमति के बिना लोक–अदालत में नियत कर बिना राजीनामे के तथा अपीलांटगण प्रतिवादीगण को सुने बिना ही लोक–अदालत

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

की भावना के विपरीत जाकर प्रश्नगत प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2017 पारित की है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का बिना जवाबदावा लिए तथा साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना ही संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2024 पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अपीलांटगण को जवाबदावा एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः हमारे मत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 53/2012 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2017 एवं संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.07.2024 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांटगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करें तथा अपीलांटगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना में नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 15.12.2025 को स्वयं उपस्थित रहें ।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

12. निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा